

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर।

छुट्टी या छुट्टी बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र (नियम 3 (एच.) एवं 14)

1. आवेदक का नाम
2. पद का नाम
3. विभाग, कार्यालय एवं अनुभाग
4. वेतन
5. वर्तमान पद में प्राप्त गृह किराया भत्ता एवं अन्य प्रतिपूरक भत्ता
6. आवेदन की गई छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि जब से आवश्यकता हो
-
7. रविवार या अवकाश यदि कोई हो जो छुट्टी के आगे या पीछे जोड़ा जाता हो
8. आधार जिस पर छुट्टी हेतु आवेदन किया गया
9. पिछली छुट्टी से लौटने की तिथि एवं छुट्टी की प्रकृति एवं अवधि
-
10. छुट्टी के दौरान पता
-

आवेदक का हस्ताक्षर
(तिथि सहित)

11. नियंत्रक अधिकारी की संस्तृति

शाखाधिकारी का हस्ताक्षर
(तिथि सहित) पदनाम

छुट्टी की अनुदेयता के सम्बंध में प्रमाण पत्र

12. प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक से तक (छुट्टी की प्रकृति) सी.सी.एस. (छुट्टी) नियम 1972 के अन्तर्गत देय है।

लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन
(तिथि सहित)
पदनाम.

13. छुट्टी स्वीकृत करने वाले सक्षम अधिकारी का आदेश

हस्ताक्षर
(तिथि सहित)
पदनाम